

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प० 12(3)राज / वाद / 99,पार्ट-13(ग)

जयपुर, दिनांक 22/2/18

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सी.डब्लू. नं०-5109/2015 चैनसिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित स्थगन आदेश दिनांक 14.05.15 की पालना में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.07.17 द्वारा अतिऽ० महाधिवक्तागण, जोधपुर के कार्यालय में संविदा पर कार्यरत निम्नलिखित 4 संविदा कार्मिकों को दिनांक 28.02.18 तक अथवा स्थगन हटने तक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय होने तक, जो भी पहले हो, तक रखे जाने की सहमति प्रदान की गयी थी।

उपरोक्त क्रम में अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जोधपुर के कार्यालय में कार्यरत निम्नांकित संविदा कार्मिकों को पूर्व की भौति दिनांक 01.03.18 से 28.02.19 तक अथवा स्थगन हटने तक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक रखे जाने की सहमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	नाम संविदा कर्मी	कार्य/सेवा का नाम	कार्यालय
1	श्री भवानी सिंह	बुक लिफ्टर	अतिऽ० महाधिवक्ता, जोधपुर
2	श्री योगेन्द्र कुमार कनोजिया	क० लि	अतिऽ० महाधिवक्ता, जोधपुर
3	श्री अमित कुमार दवे	क० लि०	अतिऽ० महाधिवक्ता, जोधपुर
4	श्री नटवर देया	बुक लिफ्टर	अतिऽ० महाधिवक्ता, जोधपुर

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या-331800078 दिनांक 08.02.18 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से,

—८४—
(रीटा तेजपाल)
विशिष्ट शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, विधि।
3. श्री पी.आर.सिंह जोधा, अतिऽ० महाधिवक्ता, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि एस.बी.सिविल रिट याचिका 5109/2015 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 14.05.15 को वेकेट करवाये जाने के संबंध में आवश्यक प्रभावी कार्यवाही कर, प्रगति रिपोर्ट से इस कार्यालय को अवगत करायें।
4. श्री राजेश पंवार, अतिऽ० महाधिवक्ता, जोधपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
6. कोषाधिकारी, जोधपुर।
7. राहायक लेखाधिकारी प्रथम, वादकरण।
8. प्राग्रामर, विधि एवं विधि कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।



(रीटा तेजपाल)
विशिष्ट शासन सचिव, विधि